

क्र० आ० 3574.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) तृतीय संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की धनसूची में, (1) भाग 1—केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "क" में प्रविष्टि सं० 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"10क भारतीय सिविल लेखा सेवा",

(II) भाग-2 केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ख" में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

क्रम सं०	सेवा का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियाँ अधिरोपित करने के लिए सम सक्षम प्राधिकारी और वे शास्त्रियाँ जो यह अधिरोपित कर सकते हैं (नियम 11 में सब संख्याओं के प्रतिनिर्देश से)	अपील प्राधिकारी	शास्त्रियाँ	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
"33. भारत सरकार के विभागीय लेखा कार्यालयों के लेखा अधिकारी	(क) महालेखा संयुक्त महालेखा नियंत्रक (ख) उन मंत्रालयों/विभागों में मुख्य लेखा नियंत्रक (ग) ऊपर (क) और (ख) में निविष्ट से भिन्न मंत्रालयों, विभागों में के अधिकारी। (घ) वित्तीय परामर्शी या संयुक्त सचिव	(क) महालेखा संयुक्त महालेखा नियंत्रक (ख) उन मंत्रालयों/विभागों में मुख्य लेखा नियंत्रक (ग) ऊपर (क) और (ख) में निविष्ट से भिन्न मंत्रालयों, विभागों में के अधिकारी। (घ) वित्तीय परामर्शी या संयुक्त सचिव	नियंत्रक के कार्यालय के अधिकारी और वे अधिकारी जो काष्ठरवाह पदों संगठनों में प्रतिनियुक्त हैं संयुक्त महालेखा नियंत्रक महालेखा नियंत्रक के अधिकारी जहाँ प्रधान लेखा अधिकारी मुख्य लेखा नियंत्रक के ग्रेड का है। मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा नियंत्रक महालेखा नियंत्रक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक वित्तीय परामर्शी या संयुक्त सचिव वित्तीय परामर्शी या संयुक्त सचिव (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक	(I) से (IV) तक (V) से (IX) तक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक	महालेखा नियंत्रक राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक	(I) से (IV) तक (V) से (IX) तक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक (I) से (IV) तक (V) से (IX) तक

(III) भाग 3—केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह (ग) (रक्षा सेवा में के सिविलियनों के सिवाय) में, क्रम सं० IV के सामने, सब (III) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सब और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"IV (1) विभागीय लेखा कार्यालयों में नि० श्रे० नि० में भिन्न सभी समूह 'ग' के पद	लेखानियंत्रक या उप-सचिव (उन मंत्रालयों/विभागों में जहाँ कोई लेखानियंत्रक नहीं है)	लेखा नियंत्रक या उप-सचिव (प्रशासन) (उन सभी मंत्रालयों/विभागों में जहाँ कोई लेखा नियंत्रक नहीं है)	सभी वित्तीय परामर्शी संयुक्त सचिव (प्रशा०) उन सभी मंत्रालयों या विभागों में जहाँ वि० प० नहीं है।		
(2) विभागीय लेखा कार्यालयों में नि० श्रे० नि०	उप लेखा नियंत्रक या अवर सचिव (उन मंत्रालयों/विभागों में जहाँ उ० ले० नि० नहीं है)	उ० ले० नि० या० अवर सचिव (प्रशा०) उन मंत्रालयों/विभागों में जहाँ उ० ले० नि० नहीं है।	सभी लेखा नियंत्रक (उन विभागों में जहाँ प्रधान लेखा अधिकारी प्रधान लेखा नियंत्रक के ग्रेड का है) या वित्तीय परामर्शी/संयुक्त सचिव (प्रशा०) उन मंत्रालयों/विभागों में जहाँ वित्तीय परामर्शी नहीं है।"		

5. अनुसूची में, भाग 4—“केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह ‘घ’ (रक्षा से ‘घो’ में के सिविलियनों के सिवाय)” में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
“(IV) विभागीय लेखा कार्यालयों के सभी समूह ‘घ’ पद	बेतन एवं लेखा अधिकारी	बेतन एवं लेखा अधिकारी	सभी	लेखा नियंत्रक या उप लेखा नियंत्रक या [यत्र सचिव—(प्रशासन) उन सभी मंत्रालयों/विभागों] जहां ले० नि० नहीं है।		

[सं० 11012/12/77-ईएसटीएस]

आर० सी० गुप्ता, उप सचिव

S.O. 3574,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Third Amendment Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, (i) in Part I—Central Civil Services, Group “A”—After the entry No. 10, the following entry shall be inserted, namely :—

“10 A Indian Civil Accounts Service.”;

(ii) in Part II—Central Civil Services, Group “B”—after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Description of service	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to the item Nos. in Rule 11)	Appellate Authority	Penalties	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
“33	Accounts Officers of the Departmentalised Accounts Offices of Government of India.	(a) Officers in the Office of the Controller General of Accounts. Joint Controller General of Accounts	Joint Controller General of Accounts. Controller General of Accounts	(i) to (iv) (v) to (ix)	Controller General of Accounts President	(i) to (iv) (v) to (ix)
		(b) Officers in the Ministries/ Departments where the Principal Accounts Officer is of the grade of the Chief Controller of Accounts. Chief Controller of Accounts	Chief Controller of Accounts Controller General of Accounts	(i) to (iv) (v) to (ix)	Controller General of Accounts President	(i) to (iv) (v) to (ix)
		(c) Officers in the Ministries/ Departments other than those referred to in (a) and (b) above. Financial Adviser [Joint Secretary (Administration) in the Ministries/Departments where there is no Financial Adviser]	Financial Adviser [Joint Secretary (Administration) in the Ministries/Departments where there is no Financial Adviser] Controller General of Accounts	(i) to (iv) (v) to (ix)	Controller General of Accounts President	(i) to (iv) (v) to (ix)”

(iii) in Part III—"Central Civil Services, Group 'C' (except for Civilians in Defence Services)" against S. No. 4, after item (iii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"(iv) 1.	All Group 'C' posts other than Lower Division Clerks in the departmentalised Accounts Offices.	Controller of Accounts or Deputy Secretary (in the Ministries/Departments) where there is no Controller of Accounts.	Controller of Accounts or Deputy Secretary (Administration) (in the Ministries/Departments) where there is no Controller of Accounts.	All	Financial Adviser [Joint Secretary (Administration) in the Ministries/Departments where there is no Financial Adviser]
2.	Lower Division Clerks in the Departmentalised Accounts Offices.	Deputy Controller of Accounts or Under Secretary (in the Ministries/Departments) where there is no Deputy Controller of Accounts.	Deputy Controller of Accounts or Under Secretary (Administration) (in the Ministries/Departments) where there is no Deputy Controller of Accounts.	All	Controller of Accounts (in the Ministries/Departments where Principal Accounts Officer is of the grade of Controller of Accounts) or Financial Adviser [Joint Secretary (Administration) in the Ministries/Departments where there is no Financial Adviser.]

5. In the Schedule, in Part IV—"Central Civil Services, Group 'D' (Except for Civilians in Defence Services)" after the existing entries, the following entry shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"(iv) All Group 'D' posts in the Departmentalised Accounts Offices	Pay and Accounts Officer	Pay and Accounts Officer	All	Dy. Controller of Accounts or Controller of Accounts or (Under Secretary (Administration) in the Ministries where there is no Deputy Controller of Accounts or Controller of Accounts.)	All"	

[No. 11012/12/77-Ests. A]

R. C. GUPTA, Dy. Secy.